23.7.19

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण उप०/प्रतिवादीगण के वकील ने मूल वाद को not press कर दिया है। अब इस प्रा०पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर मिसल के साथ हो तथा दाखिल मूल वाद हो।